अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I

सामान्य

प्रस्तावना

1.1 कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में निगमित (मार्च 1961), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम लिमिटेड का पुनः नामकरण (फरवरी 1973), उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) किया गया।

तत्पश्चात्, यूपीएसआईडीसी ने एक कंपनी के रूप में अपने औद्योगिक क्षेत्रों (आईए) के विकास और प्रबंधन में निम्नलिखित कठिनाइयों का अनुभव[1] किया।

- दोहरी प्रशासनिक प्रणाली के कारण ले-आउट प्लान और भू-उपयोग परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान करने में समस्याओं का सामना करना। इसके पास स्थानीय निकायों (नगर निगम और नगर पालिकाओं) की भांति कर आरोपित करने की शक्ति भी निहित नहीं थी तथा कंपनी की संपत्ति के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए निष्कासन और प्रवर्तन की शक्ति भी निहित नहीं थी।
- कंपनी होने के कारण, यूपीएसआईडीसी को कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम के विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में आयकर का भुगतान करना पड़ता था। कराधान मामलों के प्रबंधन के लिए जनशक्ति की तैनाती की भी आवश्यकता थी।

उ.प्र. सरकार ने, यूपीएसआईडीसी को एक शेल कंपनी के रूप में बनाए रखते हुए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (यूपीआईएडी अधिनियम) के अन्तर्गत एक नए प्राधिकरण के गठन और यूपीएसआईडीसी की सभी आस्तियों एवं दायित्वों को नए प्राधिकरण को अंतरित करने का आदेश दिया (अक्टूबर 1999)। उपरोक्त कठिनाइयों पर विचार करते हुए, यूपीएसआईडीसी ने अपनी 231वीं संचालक मंडल की बैठक (दिसम्बर 1999) में उ.प्र. सरकार के आदेश को अंगीकृत किया और यूपीएसआईडीसी को एक प्राधिकरण में परिवर्तित करने का अनुमोदन प्रदान किया।

उ.प्र. सरकार ने यूपीआईएडी अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) का गठन[2] किया (सितम्बर 2001) और यूपीआईएडी अधिनियम की धारा 2 (डी) के अन्तर्गत 123 आईए को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किया।

---

[1] 3 दिसम्बर 1999 को आयोजित 231वी संचालक मण्डल की बैठक की कार्यसूची के अनुसार।

[2] दिनांक 5 सितम्बर 2001 की अधिसूचना संख्या 1418/77-4-2001-267-भा-97 टी.सी.-1 द्वारा।

31 मार्च 2022[3] को, उत्तर प्रदेश राज्य भर में लगभग 49,395.20 एकड़ भूमि पर आच्छादित 154 आईए, यूपीसीडा के अन्तर्गत थे।

उ.प्र. सरकार ने यूपीएसआईडीसी की संपत्तियों, शक्तियों, कृत्यों, दायित्वों, आस्तियों, कर्तव्यों और कार्मिको को यूपीसीडा को हस्तांतरित करने के लिए "उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) अध्यादेश, 2018" नामक अध्यादेश[4] जारी किया (27 जून 2018)। अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप, यूपीएसआईडीसी एक शेल कंपनी के रूप मे बनी रहेगी।

लीडा का यूपीसीडा में विलय

1.1.1 उ.प्र. सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, जनशक्ति और कार्यशील पूँजी की उपलब्धता में वृद्धि के दृष्टिगत, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा) की आस्तियों एवं दायित्वों को यूपीसीडा में विलय करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2018) तथा लीडा बोर्ड को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुदेशित किया। लीडा बोर्ड ने प्रस्ताव का अनुमोदन कर (नवम्बर 2018), इसे यूपीसीडा/उ.प्र. सरकार को प्रेषित किया (अगस्त 2019)। उ.प्र. सरकार ने लखनऊ के 45 गाँवों और उन्नाव के 34 गाँवों को यूपीसीडा में सम्मिलित करने की अधिसूचना जारी की (मार्च 2021)।

उपर्युक्त कार्रवाई का एक अन्य उद्देश्य सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के साथ-साथ, विलयित इकाई (अर्थात् लीडा) के अधिसूचित क्षेत्र में समान भवन विनियमावली[5] लागू करने की तैयारी करना भी था। लेखापरीक्षा ने देखा कि यूपीसीडा ने अपनी 38वीं बोर्ड बैठक में एक्स-लीडा की महायोजना 2010-2031 और भवन विनियमावली-2009 को इसके अधिसूचित क्षेत्रों के लिए अंगीकृत किया (जून 2021)। तथापि, उ.प्र. सरकार के आदेशानुसार (अक्टूबर 2018) समान भवन विनियमावली को विकसित करने और लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की भूमिका

1.2 यूपीसीडा, उ.प्र. सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है। आईआईडीडी, राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए उ.प्र. सरकार की औद्योगिक एवं अवस्थापना के विकास की नीतियों और रणनीतियों को तैयार करता है। आईआईडीडी औद्योगिक क्षेत्र के

---

[3] प्रबंधन द्वारा अद्यतन स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गयी।

[4] अध्यादेश पर विधायिका के अनुमोदन के उपरान्त अधिसूचना 10 सितम्बर 2018 को निर्गत की गयी।

[5] यूपीसीडा को उ.प्र. सरकार के निर्णय (अक्टूबर 2018) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर स्थित औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लीडा) के मामले में लागू होने वाले समान भवन विनियमावली को तैयार करने के लिए नोडल बनाया गया था।

विकास से सम्बन्धित अपने कार्य सात[6] औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के माध्यम से निष्पादित करता है। यूपीसीडा, इन सात औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में से एक है। यूपीसीडा के सम्बन्ध में, आईआईडीडी निम्न के लिए उत्तरदायी है:

- यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए नियम बनाना;
- अपने कार्यों के प्रशासन के लिए यूपीसीडा द्वारा बनाए गए विनियमनों का अनुमोदन करना;
- यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 के कुशल प्रशासन के लिए समय-समय पर यूपीसीडा को निर्देश निर्गत करना;
- यूपीसीडा से समय-समय पर रिपोर्ट, रिटर्न और अन्य सूचनाये मांगना;
- यूपीसीडा द्वारा महायोजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करवाना; तथा
- यह सुनिश्चित करना कि विकास कार्य महायोजना के अनुसार किये गये हैं।

यूपीसीडा के कार्य

1.3 यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 6 के अनुसार, यूपीसीडा का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्र के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है। यह निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है:

- औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना;
- योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास करना;
- औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय उद्देश्यों के लिए आधारभूत ढाँचा प्रदान करना;
- सुविधाएं प्रदान कराना;
- औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि के भूखण्डों का विक्रय अथवा पट्टा या अन्यथा आवंटन एवं हस्तांतरण;
- भवनों के निर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना; और
- वह प्रयोजन, जिसके लिए किसी विशेष स्थल या भूमि के भूखण्ड का उपयोग अर्थात् औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या ऐसे किसी क्षेत्र में कोई अन्य विनिर्दिष्ट उद्देश्य, के लिए किया जाएगा को निर्धारित करना।

---

[6] नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा), यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) एवं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा)।

यूपीसीडा का प्रबंधन

1.4 यूपीआईएडी अधिनियम, 1976 की धारा 3 में यह प्रावधान है कि यूपीसीडा 11 सदस्यों (सदस्य सचिव के रूप में मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उ.प्र. सरकार द्वारा नामित पाँच सदस्यों सहित) का एक निगमित निकाय होगा। इनमें से प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उ.प्र. सरकार अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो विशेष सचिव स्तर से नीचे का न हो, पदेन अध्यक्ष होंगे। यूपीआईएडी अधिनियम की धारा 4 में यह प्रावधान है कि यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति उ.प्र. सरकार द्वारा की जाएगी। यूपीसीडा बोर्ड मे 31 मार्च 2024, को निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित[7] हैं:

- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. सरकार - अध्यक्ष
- अपर मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार, वित्त विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार, राजस्व विभाग - सदस्य
- अपर मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार, आवास विभाग - सदस्य
- प्रमुख सचिव, उ.प्र. सरकार, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग - सदस्य
- प्रमुख सचिव, उ.प्र. सरकार, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग - सदस्य
- प्रमुख सचिव, उ.प्र. सरकार, लोक निर्माण विभाग - सदस्य
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ.प्र. सरकार - सदस्य
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीसीडा) - सदस्य सचिव
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) - सदस्य

यूपीसीडा की संगठनात्मक संरचना

1.5 यूपीसीडा का नेतृत्व, तीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) के सहयोग से एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) करता है। अग्रेतर एसीईओ का सहयोग, वित्त नियंत्रक (एफसी), प्रधान महाप्रबंधक (पीजीएम) अभियंत्रण, महाप्रबंधक (जीएम) विधिक, जीएम (औद्योगिक क्षेत्र), जीएम (वास्तुकार और नियोजन), सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) स्थापना, एजीएम (नजारत), एजीएम (एस्टेट), एजीएम (बिजनेस प्रमोशन), वरिष्ठ भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलएओ) और वरिष्ठ प्रोग्रामर (कंप्यूटर) द्वारा किया जाता है।

31 मार्च 2024 को निर्माण कार्य, प्रधान महाप्रबंधक (अभियंत्रण) के समग्र पर्यवेक्षण में, वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल/इलेक्ट्रिकल) के नेतृत्व में ग्यारह निर्माण खण्डों (सीडी) और चार विद्युत खण्डों (ईडी) द्वारा किया जाता हैं, जो आईए के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। विकसित भूखण्डों का विपणन कार्य जीएम

[7] जैसा कि उ.प्र. सरकार के दिनांक 02 जुलाई 2020 के आदेश में प्रावधान है, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीसीडा) को प्रबंध निदेशक (यूपीएसआईडीसी) का प्रभार भी दिया गया है।

(औद्योगिक क्षेत्र) द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधकों (आरएम)/परियोजना अधिकारियों (पीओ) के नेतृत्व में 16 क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

लेखापरीक्षा का कार्य सौंपना और वित्तीय स्थिति/ कार्यकलापों के परिणाम

1.6 उ.प्र. सरकार ने यूपीएसआईडीसी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को जुलाई 2017 में सौंपी। सीएजी को आईआईडीडी के अन्तर्गत सभी प्राधिकरणों के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में जनवरी 2018 में नियुक्त किया गया था। यूपीसीडा ने प्रारम्भ से ही अपने वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए थे। यूपीएसआईडीसी के वार्षिक लेखो को केवल वर्ष 2013-14 तक अंतिम रूप दिया गया था। यूपीएसआईडीसी के 2017-18 से 2022-23 तक की अवधि और एक्स-लीडा के 2020-21 को समाप्त होने वाले चार वर्षों के लिए वित्तीय स्थिति और कार्यकलापों के परिणाम **परिशिष्ट-1.1** और **परिशिष्ट-1.2** में दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

1.7 लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण कार्य मितव्ययी, कुशल और प्रभावी तरीके से सम्पन्न किए गए थे;
- भूखण्डों का आवंटन निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया गया था; एवं
- आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियाँ कुशल और प्रभावी थीं।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

1.8 लेखापरीक्षा जाँच निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्डों के आधार पर की गयी थी:

- उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976;
- भूमि अर्जन अधिनियम, 1894; और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013;
- उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकार की अवधारणा और अधिनिर्णय की घोषणा) नियमावली, 1997;
- उ.प्र. सरकार की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017;
- उ.प्र. सरकार व यूपीसीडा के दिशानिर्देश, निर्देश, आदेश, मैनुअल, नीतियाँ, परिपत्र आदि;
- उ.प्र. सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिकाएं, उ.प्र. लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देश व निर्देश;
- बोर्ड के दिशानिर्देश/आदेश, वार्षिक बजट, वार्षिक प्रतिवेदन और रिटर्न;
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और रखरखाव के लिए कार्य मैनुअल (डब्लूएमडीएमआईए), औद्योगिक क्षेत्र का ऑपरेटिंग मैनुअल 2011;

- महायोजना, ज़ोनल योजना, जोनिंग विनियमन और भवन उप विधि;
- प्रशासनिक अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, अनुमोदन/ स्वीकृतियाँ/अनापत्ति प्रमाण पत्र;
- अनुबंध/समझौते; और
- अन्य लागू अधिनियम/नियम/विनियमन/आदेश।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यविधि

1.9 यूपीसीडा (यूपीएसआईडीसी और एक्स- लीडा के निष्पादन सहित) के वर्ष 2017-18 से 2021-22 (लेखापरीक्षा[8] को प्रस्तुत अभिलेख/विवरण/सूचना के आधार पर 31 मार्च 2024 तक अद्यतन) की अवधि में नियोजन, भूमि अधिग्रहण, अवस्थापना विकास, भूखण्डों के आवंटन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में निष्पादन के लिए, 12 सितम्बर 2022 से 17 अप्रैल 2023 के मध्य निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) की गई। पीए की जाँच के लिए गए नमूने का विवरण **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: नमूने का विवरण

विवरण	नमूने की पद्धति	कुल जनसंख्या	चयनित नमूना	कुल प्रकरण में चयनित नमूने का प्रतिशत
भूमि अधिग्रहण				
पुनर्ग्रहण	निर्णय	5	5	100
प्रत्यक्ष क्रय	निर्णय	7	7	100
भूमि अर्जन अधिनियम, 2013	2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कोई अधिग्रहण नहीं किया गया			
अवस्थापना का विकास				
अनुबंध बांड	आईडीईए[9] के उपयोग के माध्यम से स्तरीकृत	440	113	25.68
भूखण्डों का आवंटन				
औद्योगिक		1585	177	11.17
भूखण्ड (क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर से अधिक)	निर्णय	44	44	100
भूखण्ड (क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर से अधिक और 10000 वर्गमीटर से कम)	स्तरीकृत यादृच्छिक	108	29	26.85
भूखण्ड (क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर तक)	स्तरीकृत यादृच्छिक	1433	104	7.26
आवासीय	यादृच्छिक	पाँच योजनाएं	चार योजनाएं	80
वाणिज्यिक	निर्णय	6	6	100

[8] जून 2024 से अगस्त 2024 के मध्य अद्यतन।

[9] इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एनालिसिस सॉफ्टवेयर।

लेखापरीक्षा कार्यविधि मे सम्मिलित था:

- 12 सितम्बर 2022 को आयोजित एंट्री कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव, आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार और यूपीसीडा प्रबंधन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों और कार्यविधि की व्याख्या करना; और
- यूपीसीडा के निष्पादन का आंकलन करने के लिए अभिलेखों की जाँच करना, डाटा का विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा प्रेक्षण जारी करना और यूपीसीडा प्रबंधन के साथ बातचीत करना।

यूपीसीडा प्रबंधन की टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया (9 जून 2023)। चूँकि प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए प्रकरण को ड्राफ्ट प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ/उत्तर प्रस्तुत करने और तथ्यों व आँकड़ों की पुष्टि हेतु, मुख्य सचिव, उ.प्र. सरकार के समक्ष रखा गया (30 अगस्त 2023)। यूपीसीडा ने सितम्बर 2023 से दिसम्बर 2023 तक की अवधि के दौरान आंशिक टिप्पणियाँ/उत्तर प्रस्तुत किए जिन्हें ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया है। ड्राफ्ट प्रतिवेदन आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार को भी 12 फरवरी 2024 को जारी किया गया तथा उ.प्र. सरकार व यूपीसीडा के साथ 15 अप्रैल 2024 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उ.प्र. सरकार के उत्तर 26 जुलाई 2024 को प्राप्त हुए। एग्जिट कॉन्फ्रेंस में आईआईडीडी, उ.प्र. सरकार/यूपीसीडा द्वारा दिए गए उत्तरों और टिप्पणियों/विचारों पर समुचित रूप से विचार किया गया और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया।

कार्यक्षेत्र में बाधाएं

1.10 यूपीसीडा ने विकास और निर्माण गतिविधियों के निष्पादन, भूखण्डों के आवंटन और स्थापना से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाएं अप्रैल 2023 में लेखापरीक्षा समाप्त होने और अगस्त 2024 तक अद्यतनीकरण के दौरान और अक्टूबर 2025 में इन अभिलेखों/सूचनाओ हेतु विशिष्ट जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किये थे, जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में उपलब्ध है।

संस्तुति संख्या 1

यूपीसीडा को लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेख/सूचनाएं उपलब्ध न कराने के लिए अधिकारियों का उत्तरदायित्व तय करना चाहिए।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विषय-वस्तु

1.11 इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की विषय वस्तु को पाँच अध्यायों के अन्तर्गत व्यवस्थित किया गया है जो इस प्रकार हैं

I सामान्य

II भूमि का नियोजन एवं अधिग्रहण

III अधिग्रहीत भूमि में अवस्थापना का विकास

IV भूखण्डों का आवंटन

V आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

अध्याय I में लेखापरीक्षा सौंपना, लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदण्ड, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यविधि का वर्णन किया गया है। अन्य चार अध्यायों में यूपीसीडा के कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

उपर्युक्त अध्यायों में लेखापरीक्षा प्रेक्षणों में कम वसूली, अधिक धनराशि की वापसी, छूट हेतु दावा न करना तथा परिहार्य व्यय सम्मिलित हैं।

अभिस्वीकृति

1.12 इस निष्पादन लेखापरीक्षा के सम्पादन के दौरान यूपीसीडा द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता को लेखापरीक्षा, अभिस्वीकृत करती है।